104

माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0 क0 /13–14/निगरानी R-72-III/14

श्री ...... द्वारा आज दि. 6-1-14 को प्रस्तुत

राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

सी०एम० गुप्ता ए.

श्रीमती हमीदन पत्नी श्री मुन्ना खाँ,
निवासी ग्राम सिरसौद तहसील करैरा
जिला शिवपुरी (म0प्र0)

——**प्रार्थीनी**

बनाम

1. करन पुत्र श्री शिम्भू
2. शांति पत्नी श्री पिथ्थी
3. सदन पत्नी श्री विजय सिंह निवासीगण ग्राम नया अमोला तहसील करैरा जिला शिवपुरी

——**प्रतिप्रार्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 विरूद्ध प्रकरण कमांक 54/12–13/अपील मे पारित आदेश दिनांक 03.10.2013 पारित द्वारा न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी करैरा जिला शिवपुरी म0प्र0

श्रीमानजी,

प्रार्थीनी की ओर से अपील निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य :–

यहकि कृषि स्थित ग्राम सिरसोद तहसील करैरा जिला शिवपुरी में स्थित होकर सर्वे कमांक 4662 मिन रकवा 0.60है0 भूमि का व्यवस्थापन हेतु अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा संपूर्ण विहित प्रकिया का पालन करते हुये प्रार्थीनी के हित में व्यवस्थापन/बंटन की कार्यावाही सुचारू रूप से करते हुये विधिवत इश्तहार प्रकाशन कराने के उपरांत प्रार्थीनी पात्रता में आने से

कमशः 02

3

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–72–तीन/2014 जिला–शिवपुरी

श्रीमती हमीदन विरूद्ध करन आदि

स्थान तथा	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
17–06–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी करैरा, जिला–शिवपुरी के प्रकरण क्रमांक 54/2012–13/अपील में पारित आदेश दिनांक 03–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर शिवपुरी, जिला–शिवपुरी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 07–08–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	